कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरिया (छ0ग0)

क्रं/ 2133 /मान्य0/नवी./2025 बैकुण्ठपुर दिनांक 24/04/2025

प्रति,

प्राचार्य/प्रबंधक
द न्यू देल्ही पब्लिक स्कूल बैकुण्ठपुर
विकासखण्ड–बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0

विषयः– विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण/अनुमति प्रदाय करने बावत्।
संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2025

–––––0000–––––

आपके संदर्भित आवेदन पत्रानुसार शिक्षा सत्र 2025–26 के लिए नर्सरी से 8 वीं तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन हेतु निम्न शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से मान्यता नवीनीकरण/अनुमति प्रदान किया जाता हैः–

शर्तेः–

1. विद्यालय/प्रबंधन छ0ग0 शिक्षा संहिता के मापदण्ड एवं छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देश एव नियमों के अक्षरशः पालन करेंगे।
2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (अनुसूची धारा 19 और 25 में दिए गये प्रावधान/मापदण्ड/उपबंधो का पालन अनिवार्यतः करेंगे।)
3. विद्यालय में समुचित अनुशासन व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा आपके संस्था के छात्र या कर्मचारी किसी हड़ताल या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग नही लेंगे।
4. विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु मूलभूत सुविधाए स्थान, भवन उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ांगन, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक पठन–पाठन सामग्री कक्षा स्तर अनुसार पूर्ति करेंगे।साथ ही अध्यापन हेतु मापदण्डानुसार योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व करेंगे।
5. शाला के अंदर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य दृष्टि से सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालय (बालक एवं बालिका के लिए पृथक–पृथक)आदि की समुचित व्यवस्था करेंगे।
6. जाति धर्म या भाषा के आधार पर न तो किसी विद्यार्थी या कर्मचारी के साथ पक्षपात करेंगे और न ही इस आधार पर छात्रों का प्रवेश, अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे।
7. शासन के मापदण्ड का पालन करते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे एवं वेतन/मानदेय देंगे।किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति या निष्कासन के पूर्व प्रभावित कर्मचारी का पक्ष सुनेंगे तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति प्राप्त करके सेवा से पृथक कर सकेंगे।
8. विद्यार्थियों से शैक्षणिक सुविधा के अनुपात में ही, लाभ नहीं हानि नही के आधार पर घोषित शुल्क लेंगे।निरीक्षण हेतु अपनी शाला एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सदैव तैयार रहेंगे। प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में आय एवं व्यय की सी.ए. आडिट प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
9. आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रत्येक कंडिका का अक्षरशः पालन करेंगे अन्यथा दी गई मान्यता/नवीनीकरण बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी रदद् करदी जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरिया छ0ग0

पृ.क्रं/ 2134 /मान्य0/नवी./2025 बैकुण्ठपुर दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अंबिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/सहा0वि0ख0शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरिया छ0ग0